राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706840 (O)

पत्रांकः CCE/ ISDC/ IPSUC/2019/ **1422** Date: 22nd Oct. 2019

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय : चयनित राजकीय कन्या महाविद्यालयों में **इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उडान केन्द्रों की स्थापना** करवाये जाने के संबंध में।

महोदय,

लेख है कि वर्तमान सत्र 2019–20 में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक छात्राएं अध्ययनरत है। इस बात को केन्द्रित करते हुये **माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान द्वारा** हाल ही में प्रथम चरण में **10 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उडान केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की गयी है।** इसके अंतर्गत सभी चयनित 10 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं को स्व–सुरक्षा, महिला रक्षा एवं अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रमों द्वारा महाविद्यालय में जागरूक/प्रशिक्षित किया जावेगा। इस योजना के पायलट क्रियान्वयन के लिये निम्न महाविद्यालयों का चयन किया गया है –

1. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर
2. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
3. राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
4. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बारां
5. राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलवर
6. राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर
7. राजकीय कन्या कला महाविद्यालय, कोटा
8. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाडा
9. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाडमेर
10. राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौडगढ़

इस योजना में क्या करवाया जाना है–

इन चयनित सभी 10 राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को भयमुक्त स्वस्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिये महिला सुरक्षा एवं अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर संवाद कार्यक्रम, मार्गदर्शन, रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जायेंगे। इन कार्यक्रमों का आयोजन वर्षपर्यन्त किया जाना है, जिसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करवाये जावेगे –

1. कम्प्यूटर प्रशिक्षण
2. रोजगारोन्मुख शिक्षा केन्द्रित प्रशिक्षण
3. आत्मरक्षा /स्वास्थ्य ज्ञान
4. महिला अधिकार /घरेलू हिंसा कानून जागरूकता
5. कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकथाम /पोक्सो एक्ट
6. बाल एवं महिला तस्करी एवं इसके विरूद्ध कानून के प्रति जागरुकतां
7. बाल विवाह रोकथाम/महिला शिक्षा जागरूकता

Scanned by CamScanner

योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाना है –

1. इस योजना में उपर्युक्त चयनित कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं का तार्किक आधार पर चयन करके उन्हें महाविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जावेगा। विद्यार्थी संख्या महाविद्यालय की खमतानुरुप निर्धारित की जा सकती है।
2. किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुये महाविद्यालय समय के उपरांत अथवा पूर्व करवाया जा सकेगा।
3. **जिन महाविद्यालयों का इस योजना के प्रथम चरण में चयन नहीं हुआ है वो भी अपने स्तर पर इस तरह के महिला विषयक प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित करवा सकते है।**
4. चयनित महाविद्यालयों द्वारा इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाना है ताकि अधिक से अधिक छात्राएं लाभान्वित हो सकें।
5. **महाविद्यालय प्राचार्य अपने क्षेत्र के एन.जी.ओ एवं अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता से इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम को आयोजित करवाये। एन.जी.ओ एवं अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से ली गयी सहायता पूरी तरह से निःशुल्क होगी।**
6. **इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान केन्द्र योजना के संचालन हेतु महाविद्यालय स्तर पर यथा समव महिला संकाय सदस्य को समन्वयक नामित करें।** तथापि, यह भी ध्यान रखें कि समन्वयक स्वयं तकनीकि दक्षता एवं श्रेष्ठ संवाद कौशलधारी हो।
7. महाविद्यालय स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग महाविद्यालय के नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी।
8. आयुक्तालय स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग आयुक्तालय के नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ द्वारा की जावेगी।
9. सभी चयनित महाविद्यालयों के **इस योजना की मासिक रिपोर्ट** आयुक्तालय की नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी **innovation.cceraj@gmail.com** पर प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन के लिये आयुक्तालय नवाचार प्रकोष्ठ में **डा. राखी यादव**, सह आचार्य से **उनके मोबाइल नम्बर 99297 36681** से कार्यालय समय में सम्पर्क करें।

प्रदीप कुमार बोरड़ IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान

पत्रांकः CCE/ ISDC/ IPSUC/2019/ **1423-24;** Date: 22nd Oct. 2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक HRD/ PI/ P&C/ Acad./ Admn./RUSA/RVRES आकाशि, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं भरतपुर को इस कार्यक्रम की सम्भाग स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु।
8. संबंधित महाविद्यालयों के प्रभारी अधिकारी, आकाशि, जयपुर को इस कार्यकम की कॉलेज स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु।
9. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

22/10/19

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास

Scanned by CamScanner